

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

आदेश

संचिका संख्या-17/विविध 1-04/2026

पटना, दिनांक- / /2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण (सत्र-2022-2025) छात्र/चिकित्सकों को कॉलम-06 में अंकित संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्सी /ट्यूटरशिप करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-1092(17) दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त टेन्चोर अवधि पूर्ण करने के तत्काल बाद अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे :-

क्र० सं०	नाम एवं विषय	जन्म तिथि	पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण संस्थान का नाम	पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने संबंधी संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
01	SATISH KUMAR MD(FORENSIC MEDICINE)	21-09-1979	DARBHANGA MEDICAL COLLEGE, DARBHANGA	PHC, GHAILADH, MADHEPURA	AIIMS, Patna
02	SANDHYA KUMARI MD(PATHOLOGY)	15-01-1987	DARBHANGA MEDICAL COLLEGE, DARBHANGA	CHC, Bakhtiarpur, Patna	AIIMS, Patna
03	TEJASWINI JAIN MS(GENERAL SURGERY)	21-01-1993	JAWAHAR LAL NEHRU MEDICAL COLLEGE, BHAGALPUR	-----	AIIMS, Patna
04	SHUBHAM KUMAR MS(ORTHOPEDECS)	13.02.1996	PATNA MEDICAL COLLEGE, PATNA	PHC, KARGAHAR, ROHTAS	AIIMS, Patna

2. उक्त चिकित्सक जिस चिकित्सा महाविद्यालय से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण किये हैं, उस चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत Bonafide Certificate एवं उनके सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों आदि की अभिप्रमाणित छायाप्रति संबंधित चिकित्सा संस्थानों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद हेतु काउंसिलिंग/साक्षात्कार में मान्य होगा।

उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध 1-04/2026- 90(17)

पटना, दिनांक :-20/01/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

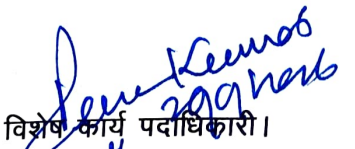
प्रतिलिपि :- संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित बंध पत्र से आच्छादित छात्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य/अधीक्षक, राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 विशेष कार्य पदाधिकारी।